

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

परियोजना का नाम:-

मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्वाड़-डिडोली-रिखतोली-पारतोली-किमोली मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 2.100 हे० सिविल वन भूमि एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.100 कुल 2.200 हे० सिविल वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

उपरोक्त योजना हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि का चयन कर लिया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति मिलने पर हस्तान्तरण कर ली जायेगी। खसरा नम्बर 1469 ग्राम ग्वाड़ (जिला-चमोली) क्षतिपूरक स्थल हेतु दिया जाता है।


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


उपजिलाधिकारी
कर्णप्रयाग
उप जिला अधिकारी
कर्णप्रयाग